

न्यायालय अथ तहसीलदार तहसील रिमाना जिला कुशीमूर

गुणक	किरण गुण	रकबा दिनांक	दिनांक
45/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

अन्वयन सरकार पन्नाम दोलाराम पुत्र अर्जुन जाति मुन्डर मिठ कुशीमूर तहसील रिमाना जिला कुशीमूर

विषय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला सभित में इस प्रकार है कि पत्रावली के सम्बन्ध 2016 में इस आदेश की रिपोर्ट परतुत की है कि नाम कुशीमूर की सार्वजनिक भूमि 0.00 गुण जाला साठन 234 रकबा 0.50 किरण गुण जाला में से 0.03 गुण पर अतिकमी दोलाराम पुत्र अर्जुन जाति मुन्डर कुशीमूर तहसील रिमाना जिला कुशीमूर से न्याय कर के द्वारा न्याय कर अन्वयित अतिकम्पन किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्ल से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को सनरवान गुण सनरव अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस पत्र पर अतिकमी उपस्थित हुआ। पाठ्य पेश किया गया जो पत्रावली सामील किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/समुत का महत्व से मन्ज किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कविन नियमन जारी है। वा ही नियमों के अनुसार है। अतः अतः अतिकमी को सनरवान गुण सनरव अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी पत्रावली किया जाता है। व नैर महस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश किये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अन्वयित रूप से किये गये न्याय की फसल कर के दण्ड स्वल्प अतिकम्पन शुद्ध भूमि के लगान 0.21 की 50 गुणा जुमाना सशि 11/- रु तत्पर पारित वायम किये जाते हैं।

तहसील सनरव लेखाकर/गुणअर्जुन/पटवारी हल्ल को वास्ते जमा करानी/वेदखली/ वसुली/ कर सशि सन कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। गुण अर्जुन का सार्वजनिक भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वास्तविकता सामील दाखिल दफतर हो तथा न्याय से कम होकर दर्ज फिसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को सुनने न्यायालय सुनाया गया।



न्याय तहसीलदार

न्याय तहसीलदार
19/08/19

डॉ. कल्याण विभाकर